प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समिति" की 13वीं बैठक दिनांक 17.02.2018 का कार्यवृत्त।

पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 के अनुपालन में गठित " राज्य स्तरीय समिति" की बैठक दिनांक 17.02.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे सम्पन्न हुई।

1– समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 06 मार्च, 2017 क्रम में शासनादेश संख्या–760/नौ–8–2017–29ज/2017 दिनांक 22 मार्च, 2017 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत 24 विभिन्न अधिनियमों/नियमों/विनियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के किसी जनपद से पशुवधशाला के अनापत्ति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग)

2– समिति में सार्वजनिक क्षेत्र से नामित सदस्य सुश्री गौरी मौलेखी द्वारा अवगत कराया गया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पकड़ी गयी निर्यात की जाने वाली मांस की खेप (Cosignments of meat) में गो मांस पाया गया है, जबकि खेप पर महिषवंशी मांस (Buffalo meat) होने का प्रमाण पत्र लगा था। दिनांक 25.01.2018 को कर्नाटक के बीदर में 390 टन, दिनांक 23.01.2018 तेलंगाना के रचकोण्डा (Rachkonda) में 40 टन, दिनांक 06.01.2018 को महाराष्ट्र के मुम्बई में 30 टन, दिनांक 24.12.2017 को महाराष्ट्र के रायगढ में 24 टन, दिनांक 19.01.2018 को महाराष्ट्र के मुम्बई में 14 टन तथा दिनांक 05.02.2018 को महाराष्ट्र के मुम्बई में 80 से 90 टन पकड़ा गया। पकड़े गये मांस की खेप परीक्षण में गो मांस पायी गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार और झारखण्ड में पकड़े गये मांस की खेप परीक्षण किये जाने हेतु भेजा गया है।

3– प्रदेश में गो वंश एवं उसकी संतति के वध पर पूर्णत्या प्रतिबन्ध है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पकड़े गये गो मांस के खेपों के सम्बन्ध में महिषवंशी मांस होने का प्रमाण–पत्र दिये जाने के प्रकरण में प्रदेश के पशुचिकित्साधिकारियों की संलिप्तिता होना अत्यन्त गम्भीर मामला है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष जांच दल (Special Investigation Team) का गठन कर विस्तृत जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग)

4— बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में संचालित पशुवधशालाओं में पशुक्रूरता निवारण सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण रोके जाने सम्बन्धी अधिनियमों/नियमों तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुपालन सम्बन्धी स्थिति की जांच हेतु अन्तर्ग्रस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों (संयुक्त निदेशक से अनिम्न) की एक उपसमिति (Sub Committee) गठित करा ली जाय।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग)

उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयोपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मनोज कुमार सिंह
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय समिति/
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग—8
संख्या—559/नौ—8—2018—107ज/2017 टी.सी.
लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज/गृह/पर्यावरण/पशुधन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग /श्रम विभाग/परिवहन/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2— सार्वजनिक क्षे से नामित सदस्य।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4— समस्त मण्डलायुक्त,/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
5— निदेशक, नगरीय निकाय निदशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
7— सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8— समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)
9— गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।